न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **93/17 (वाद)**

GCMS No. : 2017/00628

1. श्री भंवरलाल पिता घीसुदान चारण निवासी भानसोल तह. मावली।
2. श्री किशनलाल पिता मोती चारण निवासी भानसोल तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजपेरोकार तहसीलदार मावली हाल घासा, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय ::

दिनांक : 14.06.2024

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तह. मावली की आराजी नम्बर 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 995 किता 8 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान में श्री माताजी स्थान गडवाडा के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित हैं।
2. यह कि वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

मोती पिता इबा चारण (फौत)

घीसुदान(पुत्र,फौत) किशनलाल(पुत्र,वादी सं.2) नारूलाल (पुत्र, बचपन में फौत)

भंवरलाल(पुत्र, वादी सं.1)

उक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष मोतीजी थे जिनके तीन पुत्र घीसुदान, किशनलाल वादी सं. 1, नारूलाल हुए। घीसुदान का निधन हो चुका है जिसका पुत्र भंवरलाल वादी सं. 2 हैं। किशनलाल जीवित है तथा नारूलाल की बचपन में ही मृत्यु हो गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात के पुराने आराजी नम्बर 519 मी., 519, 520, 521, 512, 511, 514, 513, 515, 515मी. थे जो पूर्व में हम वादीगण के मौरूस मोती पिता इबा चारण के नाम पर राजस्व रेकार्ड खातेदारी हक से दर्ज थी तथा मोती पिता इबा चारण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र किशनलाल के नाम एवं दूसरे पुत्र घीसुदान की मृत्यु हाने से पौत्र भंवरलाल के नाम पर विरासत से अंकित की गई। जिस पर पूर्व में हमारे मौरूस काबिज थे और उपयोग उपभोग करते आ रहे थे तथा हमारे मौरूसान के निधनोपरान्त हम वादीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक दखल अधिकार कभी भी नहीं रहा है। लेकिन सम्वत् 2021 में हूवे सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार एवं आदेश के अपनी मनमर्जी से सम्वत् 2021 की जमाबन्दी में उक्त वर्णित कृषि भूमि जो हमारे मौरूस मोती पिता ईबा चारण के नाम पर थी और विरासत से हम वादीगण के नाम भी अंकित हो चुके थे उन्हे काटकर श्रीमाताजी स्थान गडवाडा का नाम अंकित कर दिया। जबकि राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था।

4. उक्त वर्णित कुलिया जमीन जो हम वादीगण की पैतृक सम्पति है उसे राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपनी मनमर्जी से हमारे नाम काटकर श्रीमाताजी स्थान गडवाडा के नाम पर अंकित कर दी जिससे सम्वत् 2021 के बाद से बनने वाली राजस्व जमाबन्दी में श्रीमाताजी स्थान गडवाडा का नाम अंकित हो गया है और तब से राजस्व जमाबन्दी में उपरोक्तानुसार ही गलत अंकन वर्तमान तक चला आ रहा हैं। जबकि उक्त भूमि हम वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर पहले हमारे मौरूस काबिज थे और हमारे मौरूस के देहावसान के बाद से हम वादीगण हमारे हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है और हम वादीगण एवं हमारे मौरूसान ने लाखों रूपयों की लागत लगाकर जमीन को उपजाऊ बनाकर आवादान की है और निरन्तर फसलों की बुवाई कर पैदावार लेते आ रहे है। लेकिन हमारी उक्त भूमि श्रीमाताजी स्थान गडवाडा के नाम पर राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत दर्ज कर देने से हम वादीगण को भारी कठिनाई का सामना करना पड रहा है इसलिए वाद में वर्णित कुलिया जमीन भूमि को हम वादीगण हमारे खातेदारी हक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी हैं। इसलिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

5. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात में किन्ही कारणों से हमारी खातेदारी में कोई अडचन उपस्थित होती है तो भी इस जमीन पर हमारा एवं हमारे मौरूसान का गत 60–70 वर्ष से भी ज्यादा समय से खुले रूप में शांतिपूर्वक लगातार अधिकार सहित चला आ रहा है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हम वादीगण उक्त जमीन को अपने खाते कराने के अधिकारी हैं।

6. यह कि हम वादीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि वादगत भूमि हम वादीगण की पैतृक सम्पति है जो पूर्व में हमारे मौरूस मोती पिता ईबा चारण के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकित थी। जिस पर पहले मोती स्वयं काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद हम वारिसान इस जमीन पर काबिज होकर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमने इस जमीन पर काफी लागत लगाकर जमीन को काबिल काश्त बनाया है और जमीन के चारों तरफ कांटो थौहर की बाड बना रखी हैं। उक्त भूमि हम वादीगण के नाम पर खातेदारी हक की घोषित किये जाने से किसी को भी कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि उक्त पैतृक भूमि हमारे नाम पर दर्ज नहीं किये जाने से हम वादीगण को भारी अपरिमित क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाना असम्भव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दु भी हम वादीगण के पक्ष में हैं।

7. यह कि वाद कारण दिनांक 21.03.2017 को उत्पन्न हुआ जब हम वादीगण ने अपनी पैतृक भूमि की नकल प्राप्त की तो उक्त भूमि श्रीमाताजी स्थान गडवाडा के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई। तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि हम वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वाद में वर्णित कुलिया कृषि भूमि जो हम वादीगण की पैतृक सम्पति होकर हमारे कब्जे काश्त में है उसके 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 को एवं 1/2 हिस्से का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावे एवं अं[illegible]माताजी स्थान गडवाडा का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

9. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राजपेरोकार तहसीलदार मावली द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में श्रीमाताजी स्थान गडवाडा सा. देह खातेदार कुल किता 8 रकबा 7.02 बीघा दर्ज है। वादीगण के द्वारा एडवर्स पजेशन को आधार बनाकर वाद प्रस्तुत किया हैं। अतः वाद निरस्तनीय हैं।

10. प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई :–

    1. आया वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के मौरूस मोती पिता इबा चारण के नाम दर्ज थी, जो मोती की मृत्यु के बाद उसके वारिस घीसु व किशन के नाम व घीसु की मृत्यु से वादी भंवरलाल के नाम दर्ज हुई। जबकि सम्वत् 2021 में सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण का नाम हटा कर श्रीमाताजी स्थान गडवाडा के नाम दर्ज कर दी गई हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं होने से पुनः वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

    .....वादीगण

    2. आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में श्रीमाताजी स्थान गडवाडा के नाम दर्ज हैं। वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

    .....प्रतिवादीगण

    3. दादरसी।

11. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री किशनलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री भंवरलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री मांगीलाल के पेश किया। साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू 1 श्री किशनलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री भंवरलाल, पीडब्ल्यू 3 श्री मांगीलाल के बयान कलमबद्ध किये गये।

12. वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज खाता सं. 284 सम्वत् 2069–72 की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 एवं नकल मिलान खसरा सम्वत् 2021 प्रदर्श 2 पेश किये।

13. प्रतिवादीगण राजपेरोकार द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण का अवसर बन्द किया जा चुका था।

14. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं राजपेरोकार तहसीलदार मावली हाल घासा की बहस को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 995 किता 8 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा स्थित हैं। जो कि वर्तमान में श्रीमाताजी स्थान गढवाडा के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित हैं। हम प्रार्थीगणों के पूर्वज मूल पुरूष मोती पिता इकबा चारण थे। जिनके 3 पुत्र हुए घीसुदान, किशनलाल एव नारूलाल, नारूलाल की मृत्यु लाऔलाद हुई एवं घीसुदान का निधन हो चुका है। जिनका पुत्र भंवरलाल वादी संख्या 1 है व किशनलाल वादी संख्या 2 है। वाद पत्र में वर्णित हाल आराजी के साबिक आराजी नम्बर 519 मी., 520, 521, 512, 511, 514, 513, 515, 515 मी. हैं। जो पूर्व में हम वादीगण के मौरूस मोती पिता इकबा चारण के नाम पर राजस्व रेकार्ड में खडमदार पुजारी की हैसियत से खातेदारी में दर्ज थी। मोती पिता इकबा चारण की मृत्यु के बाद उनका पुत्र किशनलाल एवं दुसरे पुत्र घीसुदान की मृत्यु उपरान्त पोत्र भंवरलाल के नाम पर दर्ज हुई और वर्तमान में जमीन पर दोनों ही वादी एवं उनके परिवारजन काबिज हैं। सम्वत् 2021 में हुए सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के एवं आदेश के अपनी मर्जी से वक्त सेटलमेन्ट उक्त वर्णित कृषि भूमि जो कि मौरूस मोती पिता इकबा चारण के नाम पर दर्ज थी और उनके निर्धन उपरान्त हम वादीगणों के नाम विरासत से अंकित हो चुकी थी। उन्हे काट कर श्रीमाता जी स्थान गडवाडा का नाम अंकित कर दिया जबकि सेटलमेन्ट अधिकारियों को ऐसा कोई विधिक अधिकार नहीं है। ना ही सेटलमेन्ट अधिकारियों को खातेदारियों को परिवर्तन करने भूमि की किस्म परिवर्तन करने का ही कोई अधिकार हैं। वाद वर्णित कुलिया जमीन जो हम वादीगणों की पैतृक कृषि भूमि है। उसे राजस्व अधिकारियों व सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा अपनी मन मर्जी से हमारे नाम काट कर श्रीमाता जी स्थान अंकित कर दी। जिससे सम्वत् 2021 से बाद में बनने वाली राजस्व जमाबन्दी में श्री माता जी का नाम अंकित हो गया। तब से राजस्व जमाबन्दी में उपरोक्त गलत अंकन वर्तमान तक चला आ रहा है जबकि उक्त कृषि भूमि हम वादीगणों की पैतृक सम्पति है हमारे मौरूस काबिज थे और उनके निर्धन उपरान्त हम वादीगण हमारे हिस्से अनुसार उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। उक्त भूमि को हमारे पूर्व[illegible] के समय से लेकर वर्तमान समय में अनवरत उपयोग करते आ रहे है एवं ल[illegible] रूपया लगा कर उपजाउ बना कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram
Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

आवादान की है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियो व सेटलमेन्ट अधिकारियों के गलत अंकन से हम वादीगणों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इसलिए हम वादीगण उक्त कृषि भूमि को हमारे हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने के अधिकारी है। पर्चा सेटलमेन्ट खाता नम्बर 71 मोती पिता इकबा चारण साथ संलग्न हैं।

15. अन्त में निवेदन किया कि वादीगणों का वाद विधि अनुकुल होने वाद बाबत् घोषणा स्वीकार किया जाकर उक्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं डिक्री फरमाई जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/14 जयपुर, दिनांक 24.05.2007, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.03(2)राज–6/2007/19 जयपुर, दिनांक 25.11.2011, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज–6/2007/पार्ट/5 जयपुर, दिनांक 12.09.2018 की फोटो प्रतिया पेश की। राजपेरोकार तहसीलदार मावली हाल घासा द्वारा अपनी बहस में जवाबदावें में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया।

16. हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं राजपेरोकार तहसीलदार मावली हाल घासा की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत परिपत्रों का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

1. आया वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के मौरूस मोती पिता इबा चारण के नाम दर्ज थी, जो मोती की मृत्यु के बाद उसके वारिस घीसु व किशन के नाम व घीसु की मृत्यु से वादी भंवरलाल के नाम दर्ज हुई। जबकि सम्वत् 2021 में सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण का नाम हटा कर श्रीमाताजी स्थान गडवाडा के नाम दर्ज कर दी गई हैं। जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं होने से पुनः वादीगण अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर रहा। वादीगण द्वारा अपने सम[illegible] साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री किशनलाल, पीडब्ल्यू 2 श्री [illegible]लाल, पीडब्ल्यू 3 श्री मांगीलाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

पेश किये। वादी द्वारा दस्तावेज खाता सं. 284 सम्वत् 2069–72 की जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1 एवं नकल मिलान खसरा सम्वत् 2021 प्रदर्श 2 पेश किये। दस्तावेज प्रदर्श 2 भू.प्रबन्ध विभाग का खसरा मिलान सम्वत् 2021 के कॉलम संख्या 23 नाम कृषक (गत भूमाप) पिता का नाम, जाति, निवास स्थान व श्रेणी कृषक में मोती पिता इबा चारण सा. गडवाडा खडमदार पु. अंकित किया हुआ हैं। इससे स्पष्ट है कि गत भू. माप में वादीगण के मौरूस मोती के नाम वादग्रस्त भूमि पुजारी की हैसियत से दर्ज थी। इसी दस्तावेज के कॉलम संख्या 24 में नाम कृषक (वर्तमान) पिता का नाम, जाति, निवास स्थान व श्रेणी कृषक में भू.प्रबन्ध अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा श्रीमाताजी स्थान गढवाडा सा. देह किशनलाल पिता मोती, भंवरलाल पिता घीसा चारण सा. गडवाडा ही.ब. पुजारी की हैसियत से नाम दर्ज कर दी गई। इसके पश्चात् भी तहसीलदार द्वारा जमाबन्दी में श्रीमाताजी स्थान गडवाडा सा. देह ही दर्ज किया गया। वादीगण का नाम पुजारी की हैसियत से दर्ज नहीं किया गया। इस प्रकार बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण का नाम पुजारी की हैसियत से हटा दिया गया जो कि उपरोक्तानुसार साबित होता हैं। अतः उक्त दस्तावेज से वादीगण उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में श्रीमाताजी स्थान गडवाडा के नाम दर्ज हैं। वादीगण एडवर्स पजेशन के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी कोई दाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं।

उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर रहा। प्रतिवादीगण राजपेरोकार द्वारा अपने जवाबदावें के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किये गये, जिससे यह सिद्ध होता हो कि वादीगण का नाम पुजारी की हैसियत से किसी सक्षम आदेश से हटाया गया हो। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध [illegible] की जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

17. उपरौक्त विवेचन, तनकीवार निर्णयन, दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादीगण के मौरूस मोती पिता इबा चारण के नाम सा. गडवाडा खडमदार पुजारी की हैसियत से दर्ज थी, जो मोती की मृत्यु के बाद वादीगण के नाम श्रीमाताजी स्थान गडवाडा सा. देह खातेदार के पुजारी की हैसियत से दर्ज हुई। जो दस्तावेज प्रदर्श 2 से स्पष्ट होता हैं, परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 के खाता संख्या 284 का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि श्रीमाताजी स्थान गडवाडा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार वादीगण का नाम जमाबन्दी में पुजारी की हैसियत से हटा दिया गया हैं। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि वादीगण का नाम किस आदेश से हटाया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन, दस्तावेज, साक्ष्य सबूत एवं तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर वादीगण वाद को अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 995 किता 8 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि में श्रीमाताजी स्थान गडवाडा सा. देह खातेदार का नाम रखते हुए जरिये खडमदार पुजारी की हैसियत से वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। वादीगण उक्त भूमि को विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं कर सकेगे, केवल मात्र काश्त के रूप में उपयोग उपभोग कर सकेगें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास मनसुख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री भंवरलाल पिता घीसुदान चारण निवासी भानसोल तह. मावली।
2. श्री किशनलाल पिता मोती चारण निवासी भानसोल तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का भानसोल तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(1)(4) राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 93/17 (वाद) GCMS No. : 2017/00628

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 987, 988, 989, 990, 991, 993, 994, 995 किता 8 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा भूमि में श्रीमाताजी स्थान गडवाडा सा. देह खातेदार का नाम रखते हुए जरिये खडमदार पुजारी की हैसियत से वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। वादीगण उक्त भूमि को विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं कर सकेगे, केवल मात्र काश्त के रूप में उपयोग उपभोग कर सकेगें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.06.2024 को जारी की गई।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.06.20 14:15:10 IST
Reason: SelfAttested